राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./भर्ती सीधी–2013/2018/

दिनांक :

आदेश

श्री अनिल पंवार पुत्र श्री अजय पंवार निवासी– 72, भवानी नगर, शोभावतो की ढाणी, जोधपुर राज0 ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 30.01.2018 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 2143/2017 अनिल पंवार बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 19.01.2018 की पालना में अनुभव के आधार पर प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का पारित आदेश दिनांक 19.01.2018 का ऑपरेटिव पार्ट निम्न प्रकार है:–

"In view of the above, the writ petition is disposed of with a direction to the petitioner that if he submits a fresh representation within fifteen days for his consideration on the post of Laboratory Assistant as per his merit, then the same shall be considered by the respondents strictly in accordance with law by passing a speaking order within a period of thirty days from today."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पारित आदेश 19.01.2018 के परिपेक्ष्य में लेख है कि श्री अनील पंवार पुत्र श्री अजय पंवार ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 मे ओ.बी.सी. वर्ग में ऑनलाइन (आई.डी.नं. 17120004439) आवेदन किया है। अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन पत्र मे तकनिकी योग्यता के कॉलम मे विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सलेम तमिलनाडू से जारी डिप्लोमा मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नीशियन प्रमाण पत्र मय विवरण अंकित किया है तथा काउसलिग के दौरान भी विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सलेम तमिलनाडू से जारी डिप्लोमा मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नीशियन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं होने के कारण चयन समिति ने मान्य नही किया है। याचि/अभ्यर्थी का सैकण्डरी प्राप्तांक 44.67 प्रतिशत है जिसका 85 प्रतिशत वेटेज 37.96 प्रतिशत होता है। याचि/अभ्यर्थी ने सदस्य सचिव उम्मेद अस्पताल मेडिकल रिलीफ सोसायटी जोधपुर से जारी दिनांक 01.04.2012 से 30.06.2013 तक (कुल कार्य अवधि 1वर्ष 1माह) कुशल श्रमिक (लैब टैक्नीशियन) के पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पारित आदेश दिनांक 19.01.2018 की पालना में स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप 1 वर्ष का अनुभव अभ्यर्थी की तकनीकी योग्यता में सम्मलित करने के फलस्वरूप शेष अनुभव के बोनस अंक देय नहीं होगे इस प्रकार याचि/अभ्यर्थी की कुल औसत 37.96 प्रतिशत बनती है। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट संख्या 2900/2016 मांगीलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 13920/2015 श्री नरेन्द्र कुमार जोशी व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.04.16 की पालना में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी.सिविल स्पेशल अपील रिट याचिका संख्या 578/2016 प्रदीप सिंह बनाम राज सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2016 की पालना में पूरक परीक्षा में वास्तविक अंको को जोडने के पश्चात अन्तिम कटऑफ से उच्च वरियता वाले अभ्यर्थियों को ओबीसी वर्ग की वरियता सूची में सम्मिलित करने के फलस्वरूप ओबीसी वर्ग की अन्तिम कटऑफ 38.82 के स्थान पर 39.20 प्रतिशत रही है, जिसके विरूद्व याचि/अभ्यर्थी श्री अनील पंवार पुत्र श्री अजय पंवार का औसत प्रतिशत ओबीसी वर्ग की अन्तिम कटऑफ 39.20 प्रतिशत से कम होने के कारण वरियता सूची में स्थान बनाने में असफल रहे है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पारित आदेश दिनांक 19.01.2018 की अनुपालना में याचि/अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 30.01.2018 अस्वीकार कर एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./भर्ती सीधी–2013/2018/ 149

दिनांक : 23.2.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) राजस्थान, जयपुर।
3. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. श्री के.एल. ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधुपर।
5. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर एवं केस प्रभारी अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. श्री अनिल पंवार पुत्र श्री अजय पंवार निवासी– 72, भवानी नगर, शोभावतो की ढाणी, जोधपुर राज0 (रजिस्टर्ड)
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।